

कार्यालय जिला कलक्टर (आपदा प्रबंधन एवं सहायता) प्रतापगढ़

Email:- dm-pra-ri@nic.in

Ph- 01478-223366

क्रमांक:-आ.प्र.एवंसहा./अतिवृष्टि/2021-22/स्वीकृति/2023/1124-28

दिनांक: 20/12/2023

-: स्वीकृति आदेश :-

जिला प्रतापगढ़ के तहसील क्षेत्र धरियावद में आंधी-तूफान व अतिवृष्टि से पक्का मकान गम्भीर क्षति होने पर पीड़ित को क्षतिपूर्ति हेतु निम्नांकित प्रकरण बाद अनुशंषा आर्थिक सहायता हेतु भिजवाया गया है ।

अतः उपखण्ड अधिकारी/तहसीलदार धरियावद की अनुशंषा के आधार पर एवं राज्य आपदा मोचन कोष और राष्ट्रीय आपदा मोचन कोष के वर्ष 2022-23 से 2025-26 के नवीन संशोधित मानदण्डों के बिन्दु संख्या ब (10)(ख)-2 में वर्णित प्रावधानानुरूप व कनिष्ठ अभियन्ता की रिपोर्ट अनुसार पीड़ित व्यक्ति को उसके नाम के सम्मुख अंकित राशि बतौर आंधी-तूफान व अतिवृष्टि से पक्का मकान गम्भीर क्षति होने पर क्षतिपूर्ति हेतु एतद् द्वारा स्वीकृत की जाती है ।

क्र.स.	पीड़ित का नाम व पता	दुर्घटना तिथि एवं विवरण	स्वीकृत राशि
01.	श्री नरदा पिता परता मीणा निवासी देवला तहसील धरियावद जिला प्रतापगढ़	दिनांक 28.09.2023 को आंधी-तूफान व अतिवृष्टि से पक्का मकान गम्भीर क्षति होने पर।	17051/-रु.
कुल योग			17051/-रु.

(अक्षरे सत्रह हजार इक्यावन रुपये मात्र)

नोट:-

- राशि का आहरण निम्न लेखा मद से किया जायेगा :
2245- प्राकृतिक विपत्ति के कारण राहत, 02- बाढ़/चक्रावात, 113-घर की मरम्मत, पुनःनिर्माण हेतु सहायता (09)-बाढ़ क्षेत्र में घर की मरम्मत/पुनः निर्माण के लिए सहायता, 04- गम्भीर क्षतिग्रस्त पक्का घर, 12- सहायतार्थ अनुदान (गैर संवेतन)
- राशि के आहरण एवं व्यय में आपदा प्रबंधन एवं सहायता विभाग सामान्य वित्तीय एवं लेखा नियमों तथा इस कार्यालय से समय-2 पर जारी आदेशों/निर्देशों की पालना सुनिश्चित की जावें।
- आवंटित राशि से अधिक व्यय नहीं किया जावें।
- स्वीकृत राशि का भुगतान अविलम्ब किया जावें।

(डॉ. इन्द्रजीत यादव)

जिला कलक्टर एवं प्रमुख,
जिला आपदा प्रबंधन प्राधिकरण, प्रतापगढ़

क्रमांक:-आ.प्र.एवंसहा./अतिवृष्टि/2021-22/स्वीकृति/2023/

दिनांक: 20/12/2023

प्रतिलिपि:- सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है।

- संयुक्त शासन सचिव महोदय, आपदा प्रबंधन एवं सहायता विभाग, राजस्थान जयपुर।
- वित्तीय सलाहकार, आपदा प्रबंधन सहायता एवं नागरिक सुरक्षा विभाग राज. जयपुर।
- उपखण्ड अधिकारी धरियावद।
- तहसीलदार, धरियावद।
- लेखा अनुभाग, कार्यालय हाजा को नियमानुसार आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है।

अतिरिक्त जिला कलक्टर एवं प्रभारी
जिला आपदा प्रबंधन प्राधिकरण, प्रतापगढ़